

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र. 60 फर्द अहकाम 27-9-18

कन्हैया लाल नगर पालिका थिसी

9/18

बिज सायल की ओर से प्रा. फ. बख्श निषेधाज्ञा का श्री सुनील कुमार जिनल हकीम ने प्रस्तुत किया। रिपोर्ट लीटर/सायल पकील की सुनाया। सायल ख. नं. 6350 का खाता नं. 9 किल्ला का रिपोर्ट खातेदार फाईल कर से सुविधा का संतुलन सायल के पास में ही अर्थात् अर्थात् की जटिल स्थिति में पकड़ लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः और सायलान की जटिल बख्श निषेधाज्ञा जवन किया जाता है कि कस्बा थिसी 9 किल्ला की थिसी ख. नं. 6350 का खा. नं. 9 की मोके की यथा स्थिति यथा शक्य नोटिस जारी है। इन सभ को लिया जाये। पत्रावली दि. 8-10-18 को पेश है।

उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

8/10/18

प्रार्थी वकील उप. अर्थात् अर्थात् की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने कालनामा व जवाब पेश किया। P.O. सा. चुनाव कार्य में पेश है। डाइन्दा दिनांक 26.11.18 को पेश है।

26.11.18

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी - चुनाव प्रभाग में करौली है। अतः पत्रावली गतावसार दिनांक 21.11.18 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोड

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

30/5/19

Not Press

~~Not Press~~

Garnish

9/11/19  
In Defendant

वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी कन्हैयालाल  
उपस्थित। प्रार्थी ने मुकदमा आगे नहीं चलाने  
जाने का कथन कर आदेशिका पर हस्ताक्षर  
किये। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार निषे.  
Not Press में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली केवल शुमार दोकर नम्बर से  
कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न  
रहे।

उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)